CNR No- UPBL010046892022

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया

न्यायाधीश– महेश चन्द्र वर्मा (एच0जे0एस0)
(J.O. Code-UP-6359)

UPBL010046892022

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्याः 156/2022

विश्वनाथ उपाध्याय पुत्र स्व0 फौजदार, निवासी–पण्डितपुरा (सवंरा), थाना–रसड़ा, जनपद–बलिया

––पुनरीक्षणकर्ता /वादी

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार
2–रमा शंकर उपाध्याय पुत्र स्व0 सहदेव, निवासी–पण्डितपुरा (सवंरा), थाना–रसड़ा, जनपद–बलिया।
3– दया शंकर उपाध्याय पुत्र स्व0 सुखदेव, निवासी–पण्डितपुरा (सवंरा), थाना–रसड़ा, जनपद–बलिया।

––प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण

पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से– श्री अजय उपाध्याय

उ0प्र0 राज्य/प्रत्यर्थी सं0–1 की तरफ से– विद्वान अवर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अशोक कुमार ओझा

प्रत्यर्थी सं0–2 व 3 की तरफ से– कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

(दिनाँक–13.02.2023)

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण विद्वान विचारण न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, बलिया द्वारा (मु0अ0सं0–40/90, धारा–323,324 आई0पी0सी0 सरकार बनाम दया शंकर वगैरह) प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र संख्या–156/2022, विश्वनाथ उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनाँक–14.09.2022 के विरूद्ध योजित किया गया है।

Digitally signed by MAHESH CHANDRA VERMA
Date: 2023.02.13 12:56:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं0–1 उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3– पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उपरोक्त दाण्डिक पुनरीक्षण इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन के आवेदन पर विचार करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया। वादी पढ़ा–लिखा व्यक्ति है। उक्त घटना के समय अभियुक्तगण के मारने–पीटने से वादी के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। जिससे वादी लिख नहीं पा रहा था। वादी ने अपने भान्जे अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 जनार्दन ग्राम–छितौनी, थाना–रसड़ा, जिला–बलिया से बोलकर तहरीर लिखवाया। विवेचक ने अपने केस–डायरी में तहरीर लेखक का नाम–पता विधवत लिखा है। परन्तु अभियोजन साक्षी की सूची में नाम नहीं है। तहरीर लेखक की गवाही कराने के लिए अभियोजन ने दिनाँक 11.05.22 को न्यायालय से अनुमति लेने के लिए प्रार्थना–पत्र दिया। विचारण न्यायालय ने अभियोजन का प्रार्थना–पत्र मात्र इसलिए निरस्त किया कि अभियोजन प्रार्थना–पत्र विलम्ब से दिया गया है। जबकि, गवाही का न्ययालय द्वारा कहीं अवसर समाप्त नहीं किया गया है। अतः आलोच्य आदेश दिनाँक–14.09.2022 निरस्त किया जाय।

4– प्रत्यर्थी सं0–1 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री अशोक कुमार ओझा ने आपत्ति करते हुए कहा है कि उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण निराधार है। जिस व्यक्ति अरविन्द को पुनरीक्षणकर्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय में उक्त साक्षी को पत्रावली में तलब करना चाहता है। वह तथ्य का साक्षी नहीं है, बल्कि मात्र शिकायती प्रार्थना–पत्र लेखक है। इसलिए उसे साक्षी के रूप में तलब किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित–14.09.2022 में कोई अनियमितता, अवैधानिकता व त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण बलहीन है। अतः निरस्त किया जाय।

5– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा उक्त अरविन्द, ग्राम–छितौनी, थाना–रसड़ा को मात्र इस आधार पर तलब किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया है कि वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर उसके द्वारा लिखी गयी है, परन्तु सूची गवाह में उसका नाम नहीं है। जिस पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर यह निष्कर्ष दिया है कि उक्त प्रार्थना–पत्र असत्य है, विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। यदि, अभियुक्त के चोटों को साबित करना चाहता है तो उसके लिए उपहति आख्या साबित कराने एवं चिकित्सक को परीक्षित

कराकर उपहति साबित कर सकता है। गवाह अरविन्द को तलब किये जाने का अधार पर्याप्त है और उक्त निष्कर्ष के साथ उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित–14.09.2022 खारिज किया गया है। पुनरीक्षकर्ता ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उक्त तहरीर लेखक अरविन्द, उक्त आपराधिक मामले के तथ्यों का साक्षी है। आपराधिक मामले में आपराधिक प्रकरण तथ्यों के साक्षी को ही परीक्षित कराया जाना समीचीन है, न कि मात्र तहरीर लेखक होने के कारण किसी को घटना के साक्षी के रूप में परीक्षित कराया जाना। इस प्रकार, आलोच्य आदेश पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता, अशुद्धता व अनौचित्यता कारित नहीं किया है।

6– मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुंत पुनरीक्षण बलहीन है। निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

7– प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–14.09.2022 की सम्पुष्टि की जाती है।

8– इस निर्णय/ आदेश की एक सत्य–प्रति विद्वान विचारण न्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित हो।

दिनाँक–13.02.2023

(महेश चन्द्र वर्मा)
विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया।

निर्णय एवं आदेश मेंरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक–13.02.2023

(महेश चन्द्र वर्मा)
विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया।

आशुलिपिक–शितेन्द्र कुमार गुप्ता